3 copy.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018

www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांकः प.8(32)प.आ./R.S.S.B./विविध सी.भ.प./2018/ 463 दिनांकः 16.12.19.

विज्ञप्ति

राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम– 1966 यथा संशोधित के अर्न्तगत उद्योग विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए हाथकरघा निरीक्षक एवं लवण निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र बोर्ड के विज्ञापन संख्या 03/2018 दिनांकः 13.03.2018 द्वारा आमंत्रित किये गये थे। बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांकः 11.10.2019, 22.10.2019 एवं 31.10.2019 जारी कर उक्त पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र पुनः आमंत्रित किये गये थे।

कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण) राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये कनिष्ठ अनुदेशक (मैकेनिक डीजल इंजिन)/(इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक)/(मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनर)/(वायरमैन) के पदों पर भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 08/108 दिनांकः 25.04.2018 द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा निम्न कार्यक्रम अनुसार दिनांक 22 दिसम्बर, 2019 से 24 दिसम्बर, 2019 तक सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जायेगा :–

क्र. सं.	पद का नाम (जिसके लिए परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है)	प्रस्तावित तिथि	परीक्षा का समय
1.	2.	3.	4.
1.	हाथकरघा निरीक्षक (उद्योग विभाग)	22.12.2019 (रविवार)	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक
2.	लवण निरीक्षक (उद्योग विभाग)	22.12.1019 (रविवार)	अपरान्ह 03:00 से 05:00 बजे तक
3.	कनिष्ठ अनुदेशक (मैकेनिक डीजल इंजन)	23.12.2019 (सोमवार)	प्रातः 08:30 से 11:30 बजे तक
4.	कनिष्ठ अनुदेशक (इलेक्ट्रोनिक्स मैकेनिक)	23.12.2019 (सोमवार)	अपरान्ह 02:30 से 05:30 बजे तक
5.	कनिष्ठ अनुदेशक (मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर कण्डीशनर)	24.12.2019 (मंगलवार)	प्रातः 08:30 से 11:30 बजे तक
6.	कनिष्ठ अनुदेशक (वायरमैन)	24.12.2019 (मंगलवार)	अपरान्ह 02:30 से 05:30 बजे तक

उपरोक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि :–

1. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता रखते हैं।
2. उक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थी **"प्रोविजनल ई– प्रवेश पत्र"** **बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से दिनांकः 16.12.2019 से यथाशीघ्र डाउनलोड कर लें।** बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे ।
3. परीक्षा केन्द्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरोह के किसी झांसे/बहकावे में नहीं आवें। अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नकल करने का प्रयास न करें। नकल करने के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

4. रेल/बस की छत या पायदान पर बैठकर/खड़े होकर यात्रा नहीं करें। परीक्षा केन्द्र पर एवं यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें अन्यथा आपके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. अभ्यर्थी **परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित परीक्षा समय के डेढ़ घन्टा पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें** ताकि तलाशी के उपरान्त आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सकें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् किसी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. परीक्षा केन्द्र पर अपना प्रोविजनल ई–प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र यथा–वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेन्स आदि में से एक, उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु **2.5cm×2.5cm** साईज के नवीनतम **एक रंगीन फोटो** एवं नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बाल पैन साथ लेकर आवें। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री परीक्षा केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

7. परीक्षा केन्द्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने एवं तलाशी के उपरान्त ही आपको प्रवेश दिया जायेगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें।

8. परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आवें। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। केन्द्र पर इनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केन्द्र पर लेकर नहीं आवें।

9. ऐसे विशेष योग्यजन परीक्षार्थी जिन्हें बोर्ड के उक्त विज्ञापन के अनुसार परीक्षा के दौरान श्रुतलेखक देय है, वे सक्षम चिकित्सा अधिकारी के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से तीन दिन पूर्व अवश्य प्रस्तुत कर देवें अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

10. **उक्त परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश के लिए निम्नानुसार ड्रेस कोड लागू की गयी है:–**

(i) सूट, टाई, मफलर, जाकिट, कोट, जरकिन, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर नहीं आयें। परीक्षार्थी शर्ट, बिना जेब वाली गर्म जर्सी/स्वेंटर जिनमें बड़े बटन नहीं लगे हों, पहनकर आवें। शर्ट में किसी तरह का बैज आदि न लगा हो या ऐसे कपड़े जिनमें आपत्तिजनक सामग्री आदि छुपाये जाने की संभावना हों, पहनकर नहीं आवें। महिलायें अपने बालों में रबर बैण्ड या साधारण किस्म की हैयरपिन लगा कर आ सकती हैं।

(ii) परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी के समय अपना कोट, स्वेटर, जर्सी उतारकर/सिर से स्कार्फ आदि हटाकर तलाशी देनी होगी एवं हवाई चप्पल/स्लीपर पहन कर आयेगें।

(iii) परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहन कर आने की अनुमति होगी परन्तु अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जड़ाऊ पिन) या बैज या फूल आदि लगा कर आने की अनुमति नहीं होगी।

(iv) परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आयेंगे।

(v) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, जूते/सैण्डल, मौजे, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे।

(vi) यदि किसी वस्तु को पहनकर आने में या ड्रेस कोड़ में शामिल होने के संबंध में कोई संदेह/विवाद हो तो इस संबंध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

(vii) गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.27(14)गृह–1/2008 दिनांक : 04.12.2019 के अनुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कडा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने हेतु अनुमति दी जावे। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर एक घन्टा तीस मिनिट पूर्व उपस्थित होना होगा एवं यदि इस स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी के द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रतीकों में कोई सन्देहास्पद उपकरण (SUSPECT DEVICE) ले जाना पाया जाये तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने दिया जाये।

ड्रेस कोड की पालना नहीं करने पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

11. परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जावेगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घण्टे की अवधि में प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी पर आपत्तियां आमन्त्रित की जावेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 100/– (रू. एक सौ मात्र) निर्धारित प्रक्रिया से जमा कराना होगा अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी ।

12. परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केन्द्र के जिले से सम्बन्धित परीक्षा समन्वयक एवं जिला नियन्त्रण कक्ष, जिनके दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे, से सम्पर्क किया जा सकता है ।

13. **परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें । बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे ।**

14. नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

(डॉ. बी. एल. जाटावत)
अध्यक्ष